मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.co.in E-mail : eanugya@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1222 भोपाल दिनांक 20 अगस्त 2019

प्रति,

(01) संयुक्त संचालक/उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा (म0प्र0)

(02) सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
समस्त जिला समस्त (म0प्र0)

विषयः–ई–अनुज्ञा क्रियान्वयन अंतर्गत दैनिक मॉनिटरिंग करने संबंधी।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र क्रमांक बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1182–1183 दिनांक 31/07/2019 यथा संशोधित पत्र क्रमांक बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1186–1187 दिनांक 05 अगस्त 2019।

–0–

उल्लेखित विषय में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। दिनांक 16 अगस्त 2019 से प्रदेश की समस्त 257 मण्डी समितियों में एक साथ ई–अनुज्ञा पोर्टल का क्रियान्वयन आरम्भ किया गया है, जिसमें शतप्रतिशत ई–अनुज्ञा जारी किये जा रहे हैं। इस व्यवस्था संचालन के दौरान निम्नानुसार स्थिति पाई गई है :–

1/ विशेष ध्यान देवें, ई–अनुज्ञा पोर्टल पर उपलब्ध डेशबोर्ड को मॉनिटर करने पर यह पाया गया कि कभी मण्डी फीस की राशि बढ़ती है, फिर कम हो जाती है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिये। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि मण्डी फीस की प्रविष्टि ठीक से नहीं हो रही है?

2/ चेक से मण्डी फीस का सत्यापन तुरन्त हो रहा है, जबकि कुछ चेक आज ही मिले होंगे वे अभी मण्डी से बैंक भी नहीं गये हैं फिर उनका सत्यापन कैसे सम्भव हो रहा है? अंचल के सभी मण्डी सचिवों को बतायें कि चेक बैंक से क्लियर होने पर ही सत्यापन करना सुनिश्चित करें।

3/ यह भी देखा जाना होगा कि जो अनुज्ञा पत्र जारी हो रहे हैं उनके आधार पर किसान का का भुगतान किया गया है अथवा नहीं? प्रत्येक भुगतान की जानकारी जो कि मण्डी कर्मी के द्वारा भरी जा रही है का मिलान हो रहा है? पाक्षिकी भी इसी आधार पर सिस्टम द्वारा तैयार होगी का मिलान हो रहा है अथवा नहीं?

4/ मण्डी फीस की गणना सही तरह से हो रही है या नहीं? जितनी मण्डी फीस जमा है तथा जिस मात्रा की अनुज्ञा बनाई जा रही है उसके अनुसार सिस्टम में सही गणना (Calculation) हो रही है अथवा नहीं?

5/ ई–अनुज्ञा प्रणाली के लागू करने की तिथि के पूर्व की पाक्षिकी का विवरण व्यापारियों के द्वारा मण्डी समिति में प्रस्तुत किया जावेगा जिसकी प्रविष्टी ई–अनुज्ञा कार्य में लगे मण्डी कर्मियों द्वारा की जा रही है का मिलान एवं सत्यापन मण्डी रिकार्ड से किया जाना आवश्यक होगा ताकि व्यापारीवार स्टॉक की सही स्थिति स्पष्ट हो सके।

6/ पोर्टल पर मण्डी कर्मचारी अथवा व्यापारी द्वारा दर्ज भुगतान पत्रकों का मिलान अनुज्ञप्तिधारी के बैंक स्टेटमेंट अथवा नगद भुगतान की स्थिति में कृषक द्वारा राशि भुगतान के विरुद्ध दी गई पावति से सुनिश्चित किया जाये एवं दिनांक 16 अगस्त 2019 से प्रविष्ट किये जाने वाले भुगतान पत्रक पर अंकित कृषक विक्रेता का नाम, पते के साथ मोबाईल नंबर अनिवार्य रुप से प्राप्त कर भुगतान पत्रकों पर अंकित कराने के निर्देश दिये हैं। अतः संबंधित कृषक से उसके मोबाईल/दूरभाष पर चर्चा कर प्राप्त भुगतान की जानकारी प्राप्त की जावे।

7/ ई–अनुज्ञा पत्र जारी करने के पूर्व अथवा दैनिक आधार पर अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु उपलब्ध स्कंध के सत्यापन से पूर्व यह आवश्यक रुप से सुनिश्चित कर लेंवे कि संबंधित स्कंध के विरुद्ध कृषकों को भुगतान प्राप्त हो गया है। मण्डी सचिव प्रति दिवस में 5 से 10 कृषकों से रेण्डम चर्चा करेंगे।

8/ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि ई–अनुज्ञा पोर्टल पर डाटा प्रविष्टि करते समय त्रुटि हो जाने की दशा में यह स्थिति मण्डी सचिव के संज्ञान में लाकर ही डिलीट अथवा संशोधन की कार्यवाही की जाये एवं उसका रिकार्ड मण्डी में सुरक्षित रखा जाये। क्योंकि आपकी इस कार्यवाही की लॉग रिपोर्ट स्वतः ही सिस्टम पर जनरेट होगी और दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है।

9/ ई–अनुज्ञा पोर्टल कियान्वयन के डेशबोर्ड एवं रिपोर्ट सेक्शन में मण्डी, आंचलिक स्तर एवं मण्डी बोर्ड मुख्यालय के लिये विभिन्न प्रकार की सावधिक स्वतः जनित रिपोर्टस प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है इसकी मदद से सभी मण्डी समितियॉं एवं आंचलिक कार्यालय प्रतिदिन कार्य समाप्ती के पूर्व इन रिपोर्टस प्राप्ती सुनिश्चित कर दैनिक समीक्षा व मॉनिटरिंग करेंगी ताकि वित्तीय संहिता का उल्लघंन न हो।

10/ प्रत्येक आंचलिक स्तर पर एक विधिवत दल (अंचल के मास्टर ट्रेनर को शामिल कर) गठित कर मण्डी समितियों के पर्यवेक्षण की कार्यवाही में लगायें एवं प्राप्त बिन्दुओं पर त्वरित निवारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(डॉ.केदार सिंह)
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1223 भोपाल दिनांक 20 अगस्त 2019

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक महोदय के, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(02) अपर संचालक (वित्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल :–कृपया उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये समस्त मण्डी सचिवों/समस्त संयुक्त संचालकों व उप संचालकों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(02) श्री ए0एन0सिद्धीकी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(03) श्री मुशर्रफ सुल्तान, तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल की और कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1192–1193 दिनांक 08 अगस्त 2019 के संदर्भ में।

(04) संयुक्त संचालक (नियमन)/उप संचालक (वित्त/आडिट)/सहायक संचालक (नियमन), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल